

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 66/2021

दायर दिनांक: 17.03.2021

## उनवान

1. नवलकिशोर उम्र 42 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज जाति मीणा
2. धनराज उम्र 37 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज जाति मीणा
3. भरतराज उम्र 32 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज जाति मीणा निवासीगण निमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज०।

## वादीगण

## बनाम

1. पृथ्वीराज उम्र 70 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

## प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री यशद्युमन सिंह।

## निर्णय

दिनांक: 25/05/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर० टी० एक्ट० का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 50 का ख०नं० 208 रकबा 2.73 है० ख०नं० 209 का रकबा 0.01 है०, खं नं. 210 का रकबा 2.24 है०, ख. न. 427/66 का रकबा 1.30 है०, खं नं. 428/97 का रकबा 0.40 है०, खं नं. 429/183 का रकबा 0.06 है०, खं नं. 52 का रकबा 0.60 है० कुल कित्ता 7 कुल रकबा 7.34 है० का तहसीलदार अटरू से निर्णय दिनांक 22.04.2021 द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में

तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/1040 दिनांक 11.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में बताया कि खाता संख्या 50 कुल किता 7 कुल रकबा 7.34 है० भूमि में वादीगण नवलकिशोर, धनराज, भरतराज पुत्रान पृथ्वीराज व प्रतिवादी क्रम 1 पृथ्वीराज पुत्र जगन्नाथ द्वारा उक्त आराजी को हिस्सा 1/4-1/4 शामिल की जाते दर्ज करवाने की सहमति दी गई है। जिससे अभिभाषक वादीगण सहमत है।

अतः का ख०नं० 208 रकबा 2.73 है० ख०नं० 209 का रकबा 0.01 है०, खं नं. 210 का रकबा 2.24 है०, ख. न. 427/66 का रकबा 1.30 है०, खं नं. 428/97 का रकबा 0.40 है०, खं नं. 429/183 का रकबा 0.06 है०, खं नं. 52 का रकबा 0.60 है० कुल किता 7 कुल रकबा 7.34 है० आराजी वादीगण नवलकिशोर, धनराज, भरतराज पुत्रान पृथ्वीराज व प्रतिवादी क्रम 1 पृथ्वीराज पुत्र जगन्नाथ को हिस्सा 1/4-1/4 शामिल की जाते दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्दाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 66/2021

उनवान

1. नवलकिशोर उम्र 42 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज जाति मीणा
2. धनराज उम्र 37 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज जाति मीणा
3. भरतराज उम्र 32 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज जाति मीणा निवासीगण निमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज उम्र 70 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....र..... रुबरू.....र.....

बाहाजिर :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री यशद्युमन सिंह।

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम निमोदा पटवार हल्का भैंसडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 50 का ख0नं0 208 रकबा 2.73 है0 ख0नं0 209 का रकबा 0.01 है0, खं नं. 210 का रकबा 2.24 है0, ख. न. 427/66 का रकबा 1.30 है0, खं नं. 428/97 का रकबा 0.40 है0, खं नं. 429/183 का रकबा 0.06 है0, खं नं. 52 का रकबा 0.60 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.34 है0 आराजी वादीगण नवलकिशोर, धनराज, भरतराज पुत्रान पृथ्वीराज व प्रतिवादी कम 1 पृथ्वीराज पुत्र जगन्नाथ को हिस्सा 1/4-1/4 शामलाती खाते दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)